भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

आरबीआइ/2011-12/09
मास्टर परिपत्र सं. 09/2011-12 01 जुलाई 2011

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया /महोदय,

मास्टर परिपत्र - बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार

निवासियों द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी, अर्थात् 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (डी) द्वारा नियंत्रित होते हैं।

2. यह मास्टर परिपत्र **"बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक ऋण "** विषय पर सभी वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2012 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीया ,

(रश्मि फौजदार)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग-I

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

I.(ए) स्वतः अनुमोदित मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता

iii) राशि और परिपक्वता

iv) समग्र लागत सीमा

v) अंतिम उपयोग

vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

vii) गारंटी

viii) ज़मानत

ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

x) समयपूर्व भुगतान

xi) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

xii) कर्ज भुगतान

xiii) क्रियाविधि

I (बी) अनुमोदन मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

ii) मान्यताप्राप्त उधारदाता

iii) राशि और परिपक्वता

iv) समग्र लागत सीमा

v) अंतिम उपयोग

vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

vii) गारंटी

viii) ज़मानत

ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

x) समयपूर्व भुगतान

xi) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

xii) कर्ज भुगतान

xiii) क्रियाविधि

xiv) विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड

xv) अधिकार प्रदत्त समिति

II **रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसारण**

i) रिपोर्ट करने की व्यवस्था

ii) जानकारी का प्रसारण

III. **संरचनात्मक दायित्व**

IV. **टेकआउट वित्त पोषण**

V. **बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुरूप अनुपालन**

VI. **बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन**

VII. **बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना**

VIII. **पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार**

IX. **क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाना**

प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन

(ए) कमी /चुकौती सारणी में परिवर्तन/आशोधन

(बी) उधार की मुद्रा में परिवर्तन

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक का परिवर्तन

(डी) उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन

भाग-II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

(ए) राशि और परिपक्वता अवधि

(बी) समग्र लागत सीमा

(सी) गारंटी

(डी) रिपोर्टिंग व्यवस्था-

अनुबंध-I

फार्म ईसीबी

अनुबंध -II

फार्म 83

अनुबंध -III

ईसीबी-2

अनुबंध -IV

फार्म - टीसी

अनुबंध -V

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी गारंटी/ वचनपत्र/ लेटर ऑफ कंफर्ट संबंधी विवरण

परिशिष्ट : अधिसूचनाओं/ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्रों की सूची

भाग - I
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

वर्तमान में भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित पद्धतियों से विदेश से निधियां लाने की अनुमति है।

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार का संबंध अनिवासी उधारदाताओं से लिए गये कम से कम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अवधिवाले बैंक ऋण, क्रेता ऋण, आपूर्तिकर्ता ऋण, प्रतिभूतिकृत (सिक्यूरिटाइज्ड़) लिखतों (अर्थात् अस्थिर दरवाले नोटों और निर्धारित दर वाले बांड, अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी(प्रिफरेंस) शेयर) वाणिज्यिक ऋणों से है।

(बी) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का तात्पर्य उस बांड से है जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया गया हो और जिसका मूल तथा ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो । इसके अलावा यह अपेक्षित है कि ये बांड योजना अर्थात "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर निर्गम (जमा रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना , 1993" के अनुसार जारी किये जायें और अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदान किया जाये तथा ऋण लिखतों से संबद्ध ईक्विटी से संबंधित वारंट के आधार पर पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में किसी भी प्रकार से, जारीकर्ता कंपनी के सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय हों। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) पर लागू है । विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड निर्गम के लिए समय-समय पर संशोधित 7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना फेमा सं. 120/आर बी-2004 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(सी) अधिमानी (प्रिफरेंस) शेयर (अर्थात् अपरिवर्तनीय,वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय), जिसके निर्गम के लिए निधियां 1 मई 2007 को अथवा उसके बाद प्राप्त की गयी है, ऋण के रूप में मानी जाएगी तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार होगी । तदनुसार, बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए लागू सभी मानदण्ड अर्थात् पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, राशि और परिपक्वता, अंतिम उपयोग संबंधी शर्तें, आदि लागू होंगे । चूंकि इन लिखतों को रुपयों में मूल्यवर्गित किया जाएगा, रुपया ब्याज दर लिबोर प्लस के समतुल्य स्वैप पर आधारित होगा जो समान परिपक्वता के बाह्य वाणिज्य उधारों के लिए अनुमत है ।

(डी) विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (एफसीईबी) से उस बांड का अभिप्राय है जो विदेशी करेंसी में निश्चित किया जाये, जिसकी मूल राशि तथा ब्याज दोनों ही विदेशी मुद्रा में देय हों, जिसे निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो, भारत के बाहर रहनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त हो, जो विदेशी करेंसी में हो तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है के ईक्विटी शेयर में विनिमय योग्य हो, जो या तो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अथवा ऋण लिखतों से संबद्ध किसी ईक्विटी से संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो। विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 15 फरवरी की अधिसूचना जी.एस.आर.89(ङ) द्वारा अधिसूचित ``विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) निर्गम योजना, 2008" का पालन किया जाए । बाह्य वाणिज्यिक उधारों का नियंत्रण करनेवाले दिशा-निर्देश, नियम आदि विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड के लिए भी लागू हैं ।

(ई) बाह्य वाणिज्यिक उधार को दो मार्गों, अर्थात पैराग्राफ **I (ए)** (i) (ए)में दिया गया स्वतः अनुमोदित मार्ग और (ii) पैराग्राफ I (आ) में दिया गया अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

(एफ) संपदा क्षेत्र-औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर भारत में संरचनात्मक क्षेत्र और पैरा I(अ)(i) (क) के तहत दर्शाये गये अनुसार विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में निवेश हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक / सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है । स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में संदेह हो तो, आवेदक अनुमोदन मार्ग का सहारा ले सकते हैं ।

I (ए) स्वत: अनुमोदित मार्ग

बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रस्तावों के निम्नलिखित प्रकार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आते हैं ।

i) पात्र उधारकर्ता

(ए) होटल, अस्पताल, सॉफ्टवेयर क्षेत्रों की उन कंपनियों सहित कंपनियां(कंपनी अधिनियम,1956 के अधीन पंजीकृत) और वित्तीय मध्यस्थों के सिवाय, इंफ्रास्ट्रक्चर

वित्त कंपनियां (आइएफसी) जैसे बैंक ,वित्तीय संस्थाएं (एफआइ), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए पात्र हैं । व्यक्ति, ट्रस्ट और लाभ न कमानेवाले संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के पात्र नहीं हैं।

(बी) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को अपनी आवश्यकता के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने की अनुमति है। फिर भी, वह सहयोगी संस्थाओं अथवा स्व-देशी टैरिफ एरिया में किसी इकाई को बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों का अंतरण अथवा आगे उधार नहीं दे सकते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में ईकाईयों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा जारी 15 सितंबर 2002 की प्रेस प्रकाशनी एफ.सं.4(2)/2002-ईसीबी द्वारा भी शासित किये जाते हैं।

(सी) व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं । ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का (i) भारत में विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सूचीबद्ध वाणिज्य बैंक के साथ कम से कम 3 वर्षों का संतोषजनक उधार संबंधी संव्यवहार होना चाहिए और (ii) पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से उधारकर्ता कंपनी के बोर्ड/ प्रबंध समिति की `सही और उचित' स्थिति पर समुचित सावधानी का एक प्रमाणपत्र आवश्यक होगा ।

(ii) मान्यता पात्र उधारदाता

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (i) अंतर्राष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कंपनी((आइएफसी), एशियाई विकास बैंक(एडीबी), सीडीसी, आदि),/ क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं, (iv) निर्यात ऋण एजेंसियों, (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, (vi) विदेशी सहयोगियों और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों (पहले की समुद्रपारीय कंपनी निकायों को छोड़कर) से उधारकर्ता बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही कर सकते हैं।

स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत "मान्यता प्राप्त उधारदाता" के रूप में पात्र होने के लिए एक "विदेशी ईक्विटी धारक" को नीचे निर्धारित किए गए अनुसार उधारकर्ता कंपनी में प्रदत्त ईक्विटी की न्यूनतम धारिता की जरूरत होगी :

(i) 5 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए - उधारदाता

द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी,

(ii) 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लिए - उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित 25 प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी और ऋण ईक्विटी अनुपात 4:1 से अधिक न हो (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारिता के चार गुना से अधिक न हो)।

निम्नलिखित पूर्वोपायों का पालन करनेवाले विदेशी संगठन और व्यक्ति व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं ।

(i) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए प्रस्ताव करनेवाले **विदेशी** (ओवरसीज) **संगठनों** को उधारकर्ता के प्राधिकृत व्यापारी बैंक को किसी विदेशी बैंक से समुचित सावधानी का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो मेजबान-देश के विनियामक के विनियम की शर्त के अधीन होगा और वित्तीय कार्रवाई कृतीदल (एफएटीएफ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा । समुचित सावधानी के प्रमाणपत्र में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए (i) उधारदाता का न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक में खाता होना चाहिए, (ii) उधारदाता कंपनी स्थानीय कानून (विधि) के अनुसार स्थापित की गयी हो और व्यवसाय/स्थानीय समुदाय द्वारा सुप्रतिष्ठा प्राप्त हो, और (iii) उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित न हो।

(ii) **व्यक्तिगत उधारदाता** को किसी विदेशी बैंक से यह दर्शाते हुए समुचित सावधानी का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए कि उधारदाता का न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक में खाता है । अन्य साक्ष्य/दस्तावेज, जैसे लेखा का लेखा-परीक्षित विवरण और आय कर विवरण जो विदेशी उधारदाता प्रस्तुत करता है उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए और विदेशी बैंक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे देशों के व्यक्तिगत उधारदाता बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रदान किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं, जहां बैंकों को "अपने ग्राहक को जानिये"(केवाइसी) दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है ।

(iii) राशि और परिपक्वता

(ए) एक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार की अधिकतम राशि, जो होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की उन कंपनियों से अन्य कोई कंपनी उगाह सकती है, वह **500** मिलियन अमरीकी डालर है अथवा उसके समतुल्य राशि है।

(बी) सेवा क्षेत्र अर्थात् होटलों, अस्पतालों और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए विदेशी मुद्रा और/अथवा रुपया पूंजीगत व्यय करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गयी है । बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण हेतु नहीं किया जाना चाहिए ।

(सी) एक वित्तीय वर्ष में 3 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

(डी) 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक और 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

(ई) व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) एक वित्तीय वर्ष में 5 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि तक बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाह सकते हैं । पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ता के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की कमी के समय पूर्णत: बचाव की जाती है ।

(एफ) 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार में क्रय/ विक्रय विकल्प हो सकते हैं बशर्ते क्रय/विक्रय विकल्प का उपयोग करने से पहले औसत 3 वर्ष की औसत न्यूनतम परिपक्वता अवधि का पालन किया जाता हो।

iv) समग्र लागत सीमा

इसमें वायदा फीस, समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपये में देय फीस के सिवाय ब्याज दर,विदेशी मुद्रा में अन्य फीस और खर्चे शामिल हैं। भारतीय रुपये में रोक रखे कर के भुगतान को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

समीक्षा होने तक निम्नलिखित सीमाएं वैध हैं:

औसत परिपक्वता अवधि	**छ : माह तक के लाइबोर * से ऊपर समग्र लागत सीमा**
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	300 आधार बिंदु
पांच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की अपनी-अपनी मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

नियत (फिक्स्ड) दर वाले ऋणों के मामले में मार्जिन सहित स्वाप लागत *लागू मार्जिन सहित फ्लोटिंग दर* के समतुल्य होनी चाहिए ।

v) अंतिम उपयोग

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही भारत में केवल स्थावर संपत्ति क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र और विशेष सेवा क्षेत्र अर्थात् होटल, अस्पताल और सॉफ्टवेयर में निवेश के लिए [पूंजी माल का आयात (विदेशी व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार) नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, मौज़ूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए] निवेश के लिए की जा सकती है। संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है - (i) ऊर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी संरचना (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासी परियोजनाएं) और (viii) खनन, अन्वेषण और परिष्करण तथा (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा स्टोअरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोअरेज अथवा शीत कमरा सुविधा।

(बी) विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए किया जा सकता है।

(सी) बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि का उपयोग विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के पहले चरण के अधिग्रहण के लिए अनुमत है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत जनता को ऑफर करना दूसरे चरण के लिए अनिवार्य है।

(डी) स्वयं सहायता समूहों को उधार देने के लिए अथवा व्यष्टि ऋण के लिए अथवा व्यष्टि वित्तीय गतिविधियों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्षमता निर्माण सहित वास्तविक व्यष्टि वित्तीय गतिविधि के लिए।

(ई) स्पेक्ट्रम विनियोजन के लिए भुगतान ।

(एफ) इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारों सहित बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत यथा परिभाषित संरचना क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए उनकी निजी निधियों के 50 प्रतिशत तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के पालन की शर्त पर अनुमति दी गयी है: i) 12 फरवरी 2010 के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी सं. 168/03.02.089/2009-10 में निर्धारित मानदंडों को पालन करना ii) मुद्रा जोखिम का पूर्ण बचाव । पदनामित प्राधिकृत व्यापारी को बाह्य वाणिज्यिक उधार आवेदन प्रमाणित करते समय मौजूदा मानदंड़ का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

vi) अंतिम उपयोग अनुमत नहीं

(ए) किसी कंपनी द्वारा भारत में आगे उधार देने अथवा पूंजी बाज़ार में निवेश अथवा किसी कंपनी (उसके किसी हिस्से का) के अधिग्रहण के लिए [विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवीएस), मुद्रा बाजार(मनी मार्केट) म्युच्युअल फंड (एमएमएमएफएस) में निवेश पूंजी बाजारों में निवेश के रूप में समझे जाते हैं]।

(बी) स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए।

(सी) कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों की चुकौती के लिए।

vii) गारंटी

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में भारत से बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी,आपाती साखपत्र,वचन पत्र अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है।

viii) ज़मानत

उधारदाता/आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत के विकल्प का चुनाव उधारकर्ता पर ही छोड़ दिया गया है। तथापि, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और शेयर जैसे वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन, समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/ आरबी-2000 के विनियम 8 और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को उधारकर्ता द्वारा उठाये जानेवाले बाह्य वाणिज्यिक उधार सुरक्षित करने हेतु अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन करने और समुद्रपारीय उधारदाता/सिक्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत `आपत्ति नहीं ' जारी करने के लिए प्राधिकार दिये गये हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत `अनापत्ति' प्रदान करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए कि (i)निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं, (ii) अचल परिसंपत्तियों/ वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने/कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी प्रस्तुत करने के लिए उधारकर्ता को आवश्यक ऋण करार में जमानत संबंधी खंड मौजूद है, (iii) ऋण करार पर उधारदाता और उधारकर्ता दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, और (iv) उधारकर्ता ने रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण नंबर(एलआरएन) प्राप्त किया है।

उपर्युक्त शर्तों का पालन करने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अचल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार सृजित करने और कार्पोरेट अथवा व्यक्तिगत गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर `आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं।

ए) **अचल परिसंपत्तियों पर** प्रभार सृजित करने के लिए या तो उधारदाता अथवा सिक्यूरिटी ट्रस्टी के पक्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर ' आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं :

(i) ' आपत्ति नहीं ' प्रमाणपत्र केवल निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ता को ही प्रदान किया जाएगा ।

(ii) अचल परिसंपत्तियों पर इस प्रकार के प्रभार की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता अवधि के समान होनी चाहिए ।

(iii) इस `आपत्ति नहीं ' का यह अर्थ न लिया जाए कि इससे उन्हें समुद्रपारीय उधारदाता/ सिक्यूरिटी ट्रस्टी द्वारा भारत में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) के अधिग्रहण के लिए अनुमति मिल गयी है ।

(iv) ऋण प्रभार के प्रवर्तन/लागू करने की स्थिति में अचल परिसंपत्ति (प्रॉपर्टी) भारत में किसी निवासी व्यक्ति को ही बेची जानी चाहिए और बिक्री आगम की राशि बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिसमापन के लिए प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए ।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार सुरक्षित करने के लिए प्रवर्तकों द्वारा धारित उधारकर्ता कंपनी साथ ही उधारकर्ता की स्वदेशी सहायक कंपनियों में धारित **शेयर गिरवी** रखने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत निम्नलिखित शर्तों पर `आपत्ति नहीं ' सूचित कर सकते हैं :

(i) इस प्रकार के गिरवी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता के साथ मिलती-जुलती होनी चाहिए ।

(ii) गिरवी लागू करने की स्थिति में , अंतरण वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार होना चाहिए ।

(iii) कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक से एक प्रमाणपत्र कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग अनुमत अंतिम उपयोग/उपयोगों के लिए किया गया है/किया जाएगा ।

सी) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के तहत **कंपनी अथवा व्यक्तिगत गारंटी** जारी करने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता को `अनापत्ति' निम्नलिखित को प्राप्त करने पर सूचित कर सकते हैं :

(i) इस प्रकार की गारंटी जारीकर्ता कंपनी से कंपनी को गारंटी जारी किये जाने के लिए कंपनी की ओर से अथवा किसी व्यक्तिगत क्षमता में इस प्रकार की गारंटी निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम दर्शाते हुए बोर्ड का प्रस्ताव ।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे दर्शाते हुए वैयक्तिक गारंटी जारी करने के लिए व्यक्तियों से विशेष अनुरोध ।

(iii) यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी अथवा वैयक्तिक गारंटी की अवधि निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता की अवधि एक समान होनी चाहिए ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अनिवार्य रूप से यह स्पष्ट करें कि `अनापत्ति' विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से जारी की जाती है और उसका अर्थ किसी अन्य नियम/विनियम के तहत किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार द्वारा किसी अनुमोदन के रूप में नहीं लगाना चाहिए । यदि संबंधित नियमों/विनियमों के तहत किसी अन्य नियामक/सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार से आगे कोई अनुमोदन अथवा अनुमति अपेक्षित है तो आवेदक को लेनदेन करने से पहले संबंधित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए । इसके अलावा, `आपत्ति नहीं ' का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि यह फेमा अथवा किसी अन्य नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों के तहत किन्हीं अनियमितताओं, उल्लंघन अथवा अन्य गलतियों को नियमित अथवा वैध करने का एक उपाय है ।

ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

उधारकर्ताओं को बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक या तो विदेश में रखने अथवा भारत में प्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है ।

विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है। (ए) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिच आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 से अनधिक श्रेणीकृत (रेटेड), बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य उत्पाद (लिखत); (बी) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत, और (सी) विदेश में भारतीय बैंकों की समुद्रापारीय शाखाएं/ सहयोगी के पास जमाराशि। भारत में उधारकर्ता द्वारा जब कभी निधि की आवश्यकता महसूस की जाती है तब निधि का निवेश इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि निवेश परिसमाप्त किया जा सके।

बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियां अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों के पास उधारकर्ता रुपया खाते में जमा करने के लिए भारत में प्रत्यावर्तित भी की जा सकती हैं ।

x) समयपूर्व भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी बैंक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

xi) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

नये वाणिज्यिक उधार उगाहते हुए मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार पुनर्वित्तपोषण किया जा सकता है बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार कम समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।

xii) कर्ज भुगतान

सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन, ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्त के विप्रेषण की सामान्य अनुमति है।

xiii) क्रियाविधि

स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहने के लिए उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही, बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मान्यता प्राप्त उधारदाता के साथ कर्ज करार कर सकता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार की कमी(ड्रॉइंग डाउन) करने से पहले उधारकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की क्रियाविधि पैरा II (i)(ख) में विस्तृत रूप से दी गई है।

I.(बी) अनुमोदन मार्ग

i) पात्र उधारकर्ता

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के निम्नलिखित किस्म के प्रस्ताव शामिल हैं।

ए) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा आगे उधार देने संबंधी मामले-दर-मामले पर विचार किया जाएगा ।

बी) सरकार के अनुमोदन के अनुसार टेक्स्टाइल अथवा स्टील क्षेत्र की पुनर्संरचना पैकेज में सहभागी बैंक और वित्तीय संस्थाओं को भी पैकेज में उनके निवेश की सीमा तक और विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए अब तक लिया गया कोई भी बाह्य वाणिज्यिक उधार उनकी पात्रता राशि में से काट लिया जायेगा ।

सी) संरचनात्मक परियोजनाओं को पट्टे पर देने के लिए संरचनात्मक उपकरणों के आयात के वित्तपोषण हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, ख्याति प्राप्त क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार।

डी) इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारों सहित बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत यथा परिभाषित संरचना क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए उनकी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत के उपर बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन अनुमति दी गयी है: i) 12 फरवरी 2010 के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसीसं. 168/03.02.089/2009-10 में निर्धारित मानदंडों का पालन करना ii) मुद्रा जोखिम का पूर्ण बचाव । पदनामित प्राधिकृत व्यापारी ने बाह्य वाणिज्यिक उधार आवेदन प्रमाणित करते समय मौजूदा मानदंड का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

ई) निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करनेवाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड : (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय बिचौलिए की न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, (ii) मुंबई शेयर बाज़ार अथवा राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हो, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड का न्यूनतम आकार 100 मिलियन अमरीकी डॉलर हो, (iv) आवेदक निधियों के उपयोग का प्रयोजन/ योजना प्रस्तुत करें।

एफ) विशेष प्रयोजन के माध्यम अथवा विशेष रूप से संरचनात्मक कंपनियों /परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु संस्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था वित्तीय संस्था मानी जायेगी और ऐसी संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत माना जायेगा।

जी) निम्नलिखित मानदंड पूरा करनेवाली विनिर्माण कार्य में लगी बहुराज्य सहकारी समिति जो कि i) वित्तीय रूप से शोधक्षम हैं और ii) और अपना लेखापरीक्षित अद्यतन तुलनपत्र प्रस्तुत करनेवाली सहकारी समिति है।

एच) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में यथा परिभाषित संरचनात्मक सुविधाओं, जैसे (i) उर्जा, (ii) दूरसंचार, (iii) रेल, (iv) पुलों सहित

रास्ते,(v)बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क (vii) शहरी मूलभूत संरचना (जल आपूर्ति,स्वच्छता एवं जल-मल निकासी परियोजना और (viii) खनन, परिष्करण और अन्वेषण और (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा स्टोअरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोअरेज अथवा शीत कमरा सुविधा, प्रदान करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं ।

आई) सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियां प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं ।

जे) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति का उल्लंघन करने वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक और / अथवा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिनकी जांच की जा रही है, कंपनियों को अनमोदन मार्ग के तहत ही बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति है ।

के) पैराग्राफ (ए)(iii) में उल्लिखित स्वतः अनुमोदित मार्ग सीमाओं और परिपक्वता अवधि के दायरे में न आने वाले मामले।

II) मान्यता प्राप्त उधारदाता

(ए) उधारकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे (i) अंतर्राष्ट्रीय बैंक, (ii) अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार, (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं (जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कंपनी, एशियाई विकास बैंक, सीडीसी, आदि),/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं और सरकारी स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाएं (iv) निर्यात ऋण एजेंसियां, (v) उपकरणों के आपूर्तिकर्ता, (vi) विदेशी सहयोगी और (vii) विदेशी ईक्विटी धारकों (पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकायों से इतर) से बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं।

(बी) विदेशी ईक्विटी धारकों से जहाँ पर विदेशी ईक्विटी उधारदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित **25** प्रतिशत की न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी किंतु बाह्य वाणिज्यिक उधार : ईक्विटी अनुपात **4:1** से अधिक हो जाता है (अर्थात् प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रत्यक्ष विदेशी ईक्विटी धारिता के चार गुना से अधिक हो जाता है)।

iii) राशि और परिपक्वता अवधि

सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट यथा होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों को अनुमत अंतिम उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा और/ या रूपया पूंजी व्यय संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति हैं । बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत ली गयी राशि का उपयोग भूमि के अर्जन के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

कारपोरेट एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा के अलावा अनुमोदन मार्ग के तहत 10 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वतावाली 250 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि का बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। अंतिम उपयोग , समग्र लागत सीमा,मान्यताप्राप्त उधारदाता जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के अन्य मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है। तथापि, ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पूर्व भुगतान क्रय/विक्रय विकल्प हेतु 10 वर्ष तक अनुमति नहीं होगी ।

iv) समग्र लागत सीमाएं

समग्र लागत सीमा में ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में वायदा फीस के सिवाय और अन्य खर्चे ,समयपूर्व चुकौती फीस और भारतीय रुपए में देय फीस शामिल हैं। कर भुगतान के लिए भारतीय रुपये में राशि रोक रखने को समग्र लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए समग्र लागत सीमा समय-समय पर परिशोधित की जाती है । परिशोधित किये जाने तक निम्नलिखित समग्र लागत सीमा वैध है :

औसत परिपक्वता अवधि	**छः माह तक के लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर* से ऊपर समग्र लागत सीमा**
तीन वर्ष और पाँच वर्ष तक	300 आधार बिंदु
पाँच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की संबंधित करेंसी अथवा लागू बेंचमार्क के लिए।

नियत दर कर्जों के मामले में, स्वैप लागत और मार्जिन, अस्थिर दर और लागू मार्जिन के समतुल्य होगी ।

v) अंतिम उपयोग

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही, भारत में केवल स्थावर संपदा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लघु और मध्यम दर्जे के उद्यम शामिल हैं और संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश के लिए [जैसे, पूंजी माल का आयात, (विदेश व्यापार नीति में डीजीएफटी द्वारा यथावर्गीकृत) नयी परियोजनाओं का कार्यान्वयन, मौज़ूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार] , की जा सकती है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्रयोजन के लिए संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा के दायरे में (i) ऊर्जा, (ii)

दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पुल समेत सड़क, (v) समुद्री पोर्टतथा एयरपोर्ट, (vi) औद्योगिक पार्क, (vii) शहरी ढांचे (जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं जलमल निकासी परियोजना) (viii) खनन, परिष्करण और अन्वेषण और (ix) कृषि और अनुषंगी उत्पाद, समुद्री उत्पादों और मांस के परीरक्षण अथवा स्टोअरेज के लिए कृषि स्तर पर प्री-कुलिंग सहित कोल्ड स्टोअरेज अथवा शीत कमरा सुविधा आदि आते हैं ।

(बी) विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अधीन संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

(सी) प्रारंभिक रूप से दूर संचार क्षेत्र में स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए पात्र उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान, सफल बोली लगानेवालों द्वारा, अनुमोदन मार्ग के तहत, दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार के साथ पुन:वित्तपोषण किये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर रूपया स्त्रोतों में से किया जाए:

(i) सरकार को अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से 12 महीनों के भीतर बाह्य वाणिज्यिक उधार लिया जाना चाहिए;

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक ने निधियों के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए;

(iii) भारत में स्थित बैंकों को किसी भी रूप में गारंटी देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(iv) पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, समग्र लागत सीमा, औसत परिपक्वता अवधि जैसी बाह्य वाणिज्यिक उधार की सभी अन्य शर्तों का पालन किया जाना चाहिए ।

(डी) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण में अधिग्रहण और जनता को अनिवार्य दूसरे चरण प्रस्ताव में किया जा सकता है ।

vi) अंतिम उपयोग जिनकी अनुमति नहीं

(ए) पैरा I (बी) (i) (ए), (बी) और पैरा (डी) के अंतर्गत पात्र इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों

(आइएफसीएस), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त किसी कंपनी (या उसके अंश) द्वारा भारत में आगे उधार देने अथवा पूंजी बाजार में निवेश करने अथवा कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए अंतिम उपयोग अनुमत नहीं है।

(बी) रियल इस्टेट के लिए।

(सी) कार्यशील पूंजी, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और वर्तमान रुपया ऋणों की अदायगी के लिए अंतिम उपयोग अनुमत नहीं है।

vii) गारंटी

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी , आपाती साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की सामान्यतः अनुमति नहीं है । लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों के मामले में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित गारंटी/ आपाती साखपत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र उपलब्ध करने के आवेदन पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारतीय कपड़ा-उद्योग में क्षमता विस्तार और तकनीक उन्नयन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से कपड़ा-उद्योग इकाई के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में बैंकों द्वारा गारंटी , आपाती साखपत्र , वचन पत्र अथवा चुकौती वचन पत्र को जारी करने संबंध में विवेकपूर्ण मानदडों के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

viii) ज़मानत

उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली ज़मानत का विकल्प उधारकर्ता को ही चुनना है। तथापि, समुद्रपारीय उधारदाता के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे शेयर पर प्रभार का सृजन समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः 03 मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा.21/आरबी-2000 के विनियम 8 और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000 के विनियम 3 के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी क्षेणी -। बैंकों को पूर्वोक्त पैरा 1 (ए) (viii) में दर्शाये गये अनुसार फेमा के तहत आवश्यक `आपत्ति नहीं 'जारी करने के अधिकार दिये गये हैं ।

ix) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को विदेशों में रखना

बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय को या तो विदेश में रखने अथवा अनुमत अंतिम उपयोग के लिए उपयोग होने तक इन निधियों को भारत में भेजने के लिए उधारकर्ता को अनुमति है।

विदेश में रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का निम्नलिखित चल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है (ए) स्टैंडर्ड एण्ड पुअर/ फिट्स आइबीसीए द्वारा AA(-) अथवा मूडीज़ द्वारा Aa3 द्वारा न्यूनतम रेटेड, बैंक द्वारा प्रस्तावित जमाओं अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखत; (बी) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम रेटिंगवाले एक वर्ष की परिपक्वता अवधिवाले खज़ाना बिल और मौद्रिक लिखत, और (सी) समुद्रपारीय शाखा/विदेश में भारतीय बैंकों की सहयोगी संस्था के पास जमा। निधियों का इस तरह निवेश किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर भारत में उधारकर्ता की आवश्यकता पर उसका परिसमापन किया जा सके।

बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियां अनुमत अंतिम-उपयोग करने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों के पास उधारकर्ता रुपया खाते में जमा करने के लिए भारत में प्रेषित भी की जा सकती हैं ।

x) समयपूर्व भुगतान

(ए) प्राधिकृत व्यापारी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के बगैर पूर्वानुमोदन के दे सकते हैं बशर्ते ऋण पर लागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है।

(बी) रिजर्व बैंक अनुमोदन मार्ग के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान पर विचार करेगा।

xi) मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

मौज़ूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण नये बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहते हुए किया जाए बशर्ते नया बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्न समग्र लागत पर उगाहा जाता है और मूल बाह्य वाणिज्यिक उधार की शेष परिपक्वता अवधि को बनाए रखा जाता है।

xii) कर्ज भुगतान

सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मूल धन /ब्याज तथा अन्य प्रभारों की किस्तों के प्रेषण की सामान्य अनुमति है।

xiii) कार्यविधि

आवेदक आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फार्म ईसीबी में नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रभारी मुख्य महप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, मुंबई 400 001 को आवदेनपत्र प्रस्तुत करें।

xiv) विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से वह बांड अभिप्रेत है जो कि विदेशी करेंसी में अभिव्यक्त होता हो, जिसकी मूल तथा ब्याज दोनों की राशि विदेशी करेंसी में देय हों , जो निर्गम कंपनी द्वारा जारी किया गया हो और भारत के बाहर रहनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में अभिदत्त तथा दूसरी कंपनी जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है, जो या तो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अथवा ऋण लिखतों से संबद्ध किसी ईक्विटी संबंधित वारंट के आधार पर परिवर्तनीय हो । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड आसानी से परिवर्तनीय किसी विदेशी मुद्रा के मूल्यवर्ग में हो सकते हैं।

पात्र जारीकर्ता: जारीकर्ता कंपनी, ऑफर्ड कंपनी के प्रवर्तक समूह की होगी और विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय प्रदत्त/ दिये जानेवाले ईक्विटी शेयर उसके पास रहेंगे।

ऑफर्ड कंपनी: ऑफर्ड कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी होगी जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पाने के लिए पात्र क्षेत्र में कार्यरत है तथा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) अथवा बाह्य वाणिज्यिक उधार जारी करने अथवा उसका लाभ उठाने हेतु पात्र होगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु अपात्र कंपनियां :

कोई कंपनी, जिस पर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार में जाने पर रोक लगायी गई है या ऐसी भारतीय कंपनी, जो भारतीय प्रतिभूति बाजार से निधियां जुटाने के लिए पात्र नहीं है, वह विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने हेतु पात्र नहीं होगी ।

पात्र अभिदाता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करते समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तथा सेक्टोरल कैप संबंधी निर्देशों का पालन करनेवाली कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान कर सकती हैं । विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत यथावश्यक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

कंपनियां, जो विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र नहीं हैं :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री तथा अन्य किसी प्रकार से उनका कारोबार करने से प्रतिबंधित कंपनियां विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) में अभिदान करने की पात्र नहीं होंगी ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से आगत (proceeds) का अंतिम उपयोग:

निर्गम कंपनी :

(i) संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में समुद्रपारीय निवेश पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि, समुद्रपारीय निर्गम कंपनी द्वारा, विदेश में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं सहित प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, निवेश की जा सकती है ।

(ii) निर्गम कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त राशि प्रवर्तक समूह की कंपनियों में निवेश की जा सकती है ।

प्रवर्तक समूह की कंपनियां :

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की आगत (proceeds) आय से निवेश प्राप्त करनेवाली प्रवर्तक समूह की कंपनियां, बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत अंतिम उपयोग के अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं ।

अंतिम उपयोग अनुमत नहीं : ऐसे निवेश प्राप्त करनेवाली प्रवर्तक समूह की कंपनियों को भारत में पूंजी बाजार अथवा स्थावर सम्पत्ति में निवेश के लिए आय का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

समग्र लागत : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) पर देय ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा में किये गये निर्गम खर्चे, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र लागत सीमा के भीतर होंगे ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) पर मूल्य अंकित करना : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने के समय प्रस्तुत सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों का विनिमय मूल्य निम्नलिखित दो उच्चतर स्थितियों से कम नहीं होना चाहिए :

(i) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती छः महीनों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगानेवाली कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत और

(ii) संदर्भित तारीख से पूर्ववर्ती दो सप्ताहों के दौरान शेयर बाजार में बोली लगानेवाली कंपनी के शेयरों के उच्च और निम्न अंतिम मूल्य का साप्ताहिक औसत ।

औसत परिपक्वता: विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) की परिपक्वता अवधि कम से कम पांच वर्ष होगी । विनिमय का विकल्प, शोधन तारीख से पहले, कभी भी दिया जा सकता है । विनिमय का विकल्प देते समय विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) के धारक को दिये जानेवाले शेयर की सुपुर्दगी लेनी होगी । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) के लिए नकदी भुगतान अनुमत नहीं होगा ।

विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से आगत (proceeds) राशि को विदेशों में रखना : विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से प्राप्त होनेवाली आय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्गम कंपनियों /प्रवर्तक समूह कंपनियों द्वारा विदेशों में रखी जायेगी/नियोजित कर दी जाएगी अथवा अनुमत अंतिम उपयोग करने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों में उधारकर्ता रूपया खाते में जमा करने के लिए भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी। यह निर्गम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड की आय बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के तहत निर्धारित केवल अनुमत अंतिम उपयोग के लिए प्रवर्तक समूह कंपनी द्वारा उपयोग में लायी जाती है। निर्गम कंपनी, निर्गम कंपनी/प्रवर्तक समूह कंपनियों द्वारा आय के अंतिम उपयोग का, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विधिवत् प्रमाणित ऑडिट ट्रायल भी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें ।

परिचालनगत क्रियाविधि- विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) जारी करने के लिए अनुमोदित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा । विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड (एफसीईबी) से संबंधित सूचना देने की व्यवस्था वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार रहेगी ।

xv) अधिकार प्रदत्त समिति

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आनेवाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिकार प्रदत्त समिति गठित की है।

II . रिपोर्ट करने की व्यवस्था और जानकारी का प्रसारण

(i) रिपोर्ट करने की व्यवस्था

(ए) कार्यविधि को सरल बनाने के विचार से ऋण करार की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना बंद किया है ।

(बी) ऋण पंजीयन संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे कंपनी सचिव अथवा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित फार्म 83 की दो प्रतियां नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को

प्रस्तुत करें। एक प्रति नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400 051 को भेजी जाए।

(नोट: ऋण करार की प्रतियाँ तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) के लिए प्रस्ताव दस्तावेज को फार्म 83 के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।)

(सी) उधारकर्ता, सांख्यकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करने के बाद ही ऋण आहरण कर सकते हैं।

(डी) उधारकर्ता, ईसीबी-2 विवरणी नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रमाणित करा कर मासिक आधार पर इस प्रकार भेजें कि वह सांख्यकीय और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से सात कार्य-दिवसों के भीतर मिल जाए।

[नोट : बाह्य वाणिज्यिक उधार अर्थात् ईसीबी 3-ईसीबी 6 से संबंधित सभी अन्य विवरणियां 31 जनवरी 2004 से बंद कर दी गई हैं।]

ii) सूचना प्रसारण

अधिक पारदर्शिता के लिए स्वत: अनुमोदित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता का नाम, राशि, प्रयोजन और उसकी परिपक्वता अवधि के संबंध में जानकारी एक माह, जिससे यह संबंधित है , के अंतराल पर मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट पर डाली जाती है।

III. संरचनात्मक दायित्व

दो निवासियों के बीच भारतीय रुपयों में उधार लेना और देना विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के किसी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है । यदि किसी अनिवासी द्वारा दी गयी गारंटी पर रुपया ऋण दिया जाता है, तो गारंटी लागू किये जाने तक विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं होता है और अनिवासी गारंटीकर्ता को गारंटी के अंतर्गत देयता चुकाना आवश्यक होता है । अनिवासी गारंटीकर्ता i) भारत में धारित शेष रुपयों में से भुगतान करते हुए ii) भारत को निधियां प्रेषित करते हुए अथवा iii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक में रखे गये अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए देयता चुका सकता है । ऐसे मामलों में, अनिवासी गारंटीकर्ता राशि की वसूली के लिए निवासी उधारकर्ता के विरुद्ध अपने दावे के लिए दबाव डाल सकता है और यदि देयता आवक प्रेषण द्वारा अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है तो वसूली किये जाने पर

वह राशि के प्रत्यावर्तन के लिए मांग कर सकता है । तथापि, यदि बकाया रुपयों में से भुगतान करते हुए देयता चुकायी जाती है तो वसूल की गयी राशि अनिवासी गारंटीकर्ता के अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जा सकती है ।

रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा.29/आरबी-2000 के जरिये भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति, जिसने गारंटी के तहत देयता चुकायी है, को भुगतान करने के लिए मूल देनदार होने के कारण निवासी को सामान्य अनुमति प्रदान की है । तदनुसार, जहां अनिवासी द्वारा देयता भारत को प्रेषित निधियों में से अथवा अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते/अनिवासी विदेशी खाते में नामे डालते हुए चुकायी जाती है , पुनर्भुगतान गारंटीकर्ता के अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते/अनिवासी विदेशी खाते /अनिवासी सामान्य खाते में नामे डालते हुए किया जा सकता है बशर्ते प्रेषित/जमा की गयी राशि लागू की गयी गारंटी के लिए अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा अदा की गयी राशि के समतुल्य रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

पात्र अनवासी संस्थाओं द्वारा ऋण बढ़ाने (क्रेडिट एनहान्समेंट) की सुविधा, निम्नलिखित शर्तों पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कार्यरत भारतीय कंपनियों द्वारा और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस), जो 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी. सीसी सं. 168/03.02.089/2009-10 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत की गयी हैं, द्वारा डिबेंचरों तथा बांडों जैसे पूंजी बाजार लिखतों के निर्गम के जरिये उगाहे गये घरेलू ऋण तक बढ़ा दी जाए:

i) क्रेडिट एनहान्समेंट की सुविधा, बहुदेशीय/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के स्वामित्ववाली विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जानी चाहिए;

ii) विचाराधीन ऋण लिखतों की न्यूनतम औसत परिपक्वता सात वर्षों की होनी चाहिए;

iii) 7 वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि तक पूंजी बाजार लिखतों के लिए पूर्वभुगतान और क्रय/विक्रय विकल्प अनुमत नहीं है;

iv) क्रेडिट एनहान्समेंट के संबंध में गारंटी शुल्क और अन्य लागत, निहित मूल राशि के अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित की जाएगी;

v) क्रेडिट एनहान्समेंट लागू करने पर, यदि गारंटीकर्ता देयता चुकाता है और यदि

वह पात्र अनिवासी संस्था को विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने के लिए अनुमत है तो व्यापार ऋण/बाह्य वाणिज्यिक उधारों की संबंधित परिपक्वता अवधि को लागू समग्र लागत सीमा, नवीन ऋण के लिए लागू है । औसत परिपक्वता अवधि पर आधारित समग्र लागत सीमा निम्नानुसार लागू है:

लागू करने पर ऋण की औसत परिपक्वता अवधि	**छः माह तक के लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर* से ऊपर समग्र लागत सीमा**
3 वर्षों तक	200 आधार बिंदु
तीन वर्ष और पाँच वर्ष तक	300 आधार बिंदु
पाँच वर्ष से अधिक	500 आधार बिंदु

*उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

vi) चूक के मामले में और यदि ऋण भारतीय रूपयों में चुकाया जाता है तो ब्याज की लागू दर, नवीकरण की तारीख को बांडों के कूपन अथवा 5 वर्षों की भारत सरकार की प्रतिभूति का प्रचलित अनुषंगी बाजार प्रतिफल पर 250 आधार बिंदु, जो भी उच्चतर हो, होगी;

vii) क्रेडिट एनहान्समेंट सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखनेवाली इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस) को 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस. पीडी. सीसी सं. 168/03.02.089/2009-10 में निर्धारित पात्रता मानदंडों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना चाहिए और यदि नवीन ऋण विदेशी मुद्रा में पदनामित है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आइएफसीएस) को समग्र विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए बचाव करना चाहिए; और

viii) बाह्य वाणिज्यिक उधारों को लागू रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं नवीन ऋणों के लिए लागू होगी ।

IV. अंतरण (टेकआउट) वित्त पोषण

वर्तमान मानदंडों के अनुसार, बाह्य वाणिज्य उधार के देशी रुपया ऋणों का पुनर्वित्तीयन स्वीकृत नहीं है। तथापि, संरचना क्षेत्र की विशेष वित्तीय (निधियन) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि बाह्य वाणिज्य उधार नीति की समीक्षा की जाए तथा अंतरण वित्त पोषण की एक योजना बनायी जाए । तदनुसार, यह निर्णय

किया गया है कि नयी परियोजनाओं के विकास के लिए **बंदरगाह तथा हवाई अड्डा, पुलों समेत मार्ग(सड़क) तथा ऊर्जा क्षेत्र** में पात्र उधारकर्ताओं द्वारा देशी बैंकों से लिये गये रूपया ऋणों के पुनर्वित्तीयन के लिए **अनुमोदन मार्ग के तहत** निम्नलिखित शर्तों पर बाह्य वाणिज्य उधार के जरिये अंतरण वित्त पोषण व्यवस्था स्वीकृत की जानी चाहिए:

i. संरचनात्मक परियोजना विकसित करनेवाली कंपनी को नियत व्यापारिक परिचालन तारीख (सीओडी) के तीन वर्षों के भीतर ऋण को एक या तो **सशर्त** अथवा **बिना शर्त** अंतरण के लिए देशी बैंकों तथा विदेशी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं के साथ त्रिपक्षीय करार करना चाहिए । अंतरण करने की नियत तारीख करार में स्पष्ट रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

ii. ऋण की सात वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि होनी चाहिए ।

iii. संरचनात्मक परियोजना के लिए वित्त पोषण करनेवाले देशी बैंक को अंतरण वित्त पोषण से संबंधित प्रचलित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना चाहिए ।

iv. अंतरण करने तक विदेशी उधारदाता को देय शुल्क, यदि कोई हो, तो प्रति वर्ष 100 आधार बिंदुओं से अधिक नहीं होना चाहिए ।

v. अंतरण पर, विदेशी उधारदाता द्वारा अंतरित किये जाने के लिए सहमत अवशिष्ट ऋण बाह्य वाणिज्य उधार के रूप में माना जाएगा और ऋण किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में नामित किया जाएगा तथा बाह्य वाणिज्य उधार से संबंधित सभी प्रचलित मानदंडों का पालन करना होगा ।

vi. देशी बैंको/वित्तीय संस्थाओं को अंतरण वित्तपोषण के लिए गारंटी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

vii. देशी बैंको को अंतरण की घटना घटित हो जाने पर अपने तुलन पत्र पर कोई दायित्व लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

viii. बाह्य वाणिज्य उधार नीति के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग व्यवस्था का पालन करना होगा ।

V. बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुपालन

बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिज़र्व बैंक के विनियमों/ निदेशों के अनुरूप बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाहे/ उपयोग किए गए हैं, यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित उधारकर्ता की है तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा फेमा, 1999 (1 फरवरी, 2005 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31) के तहत आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा। नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि प्रमाणीकरण के समय बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही/उपयोग बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

VI. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन

(i) बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है –

(ए) कंपनी के कार्यकलापों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत कवर किया जाता है अथवा विदेशी ईक्विटी सहभागिता के लिए कंपनी ने, जहां लागू हो, सरकारी (एफआइपीबी)अनुमोदन के लिए अनुमति ली है।

(बी) ऋण के ईक्विटी में ऐसे परिवर्तन के बाद विदेशी ईक्विटी धारिता यदि कोई हो, के क्षेत्रीय सीमा के अंदर है।

(सी) सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में शेयरों का कीमत निर्धारण फेमा,1999 के तहत जारी कीमत निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन की सूचना निम्नानुसार रिज़र्व बैंक को दी जाएगी :

(ए) उधारकर्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे **बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तन** की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर में साथ ही फार्म ईसीबी-2 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संबंधित माह की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर दें। शब्द " ईक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" फार्म ईसीबी-2 के ऊपर साफ-साफ लिखा जाए। एक बार रिपोर्ट किए जाने के बाद, अनुवर्ती माह में ईसीबी-2 जमा करने की जरूरत नहीं है।

(बी) **यदि बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में आंशिक परिवर्तन के** होता है तो, उधारकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे फार्म एफसी-जीपीआर में परिवर्तित भाग की सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें साथ ही अपरिवर्तित हिस्से से परिवर्तित हिस्से को अलग करते हुए स्पष्ट रूप से फार्म ईसीबी-2 में दें। शब्द "ईक्विटी में आंशिक परिवर्तित बाह्य वाणिज्यिक उधार" ईसीबी-2 फार्म के ऊपर लिखा जाए। बाद के महीनों में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया भाग की रिपोर्ट सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को ईसीबी-2 फार्म में दी जाए।

VII. बाह्य वाणिज्यिक उधार को निश्चित रूप देना

भारत में स्थित कंपनियों द्वारा रुपये में उगाही गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए दी गई गारंटियों में से उत्पन्न अपनी विदेशी मुद्रा देयता को निश्चित रूप देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को पूर्ण ब्योरे अर्थात् उधारकर्ता का नाम, उगाही गई राशि, परिपक्वता अवधि, गारंटी/ चुकौती का आश्वासन देनेवाले पत्र की परिस्थितियां, चूक की तारीख, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक की समुद्रपारीय शाखा की देयताओं पर उसका प्रभाव और अन्य संबंधित तथ्य देते हुए प्रस्तुत करें।

VIII. पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार

नामित प्राधिकृत व्यापारी को पूर्ववर्ती 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के तहत उगाहे गए ऋणों के लिए चुकौती अवधि के विस्तार को अनुमोदित करने की अनुमति है बशर्ते बगैर किसी अतिरिक्त लागत के ऐसे पुनः निर्धारण के लिए समुद्रपारीय उधारदाताओं से सहमति पत्र प्राप्त किया जाता है। मूल/ ऋण पंजीकरण संख्या के साथ वर्तमान और संशोधित चुकौती सूची के साथ ऐसे अनुमोदन की सूचना प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को अनुमोदन के 7 दिनों के अंदर और इसके बाद ईसीबी-2 में दी जाए।

IX. क्रियाविधि को युक्तिसंगत बनाना- प्राधिकृत व्यापारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से एलआरएन फार्म प्राप्त करने के बाद बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तों में कोई परिवर्तन किए जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है । बाह्य वाणिज्यिक उधार उधारकर्ताओं से निम्नलिखित अनुरोध अनुमोदित करने के लिए पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को विनिर्दिष्ट शर्तों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है:

(ए) आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/आशोधन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, अनुमोदन अथवा स्वत: अनुमोदित दोनों मार्गों के तहत पहले ही लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन/आशोधन इस शर्त पर अनुमत कर सकते हैं कि एलआरएन प्राप्त

करते समय यथा घोषित औसत परिपक्वता अवधि बनायी रखी जाती है । आहरण द्वारा कमी/चुकौती अनुसूची में परिवर्तन फॉर्म 83 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को तुरंत सूचित करने चाहिए । तथापि, बाह्य वाणिज्यिक उधार की मूल परिपक्वता की समाप्ति पर चुकौती में कोई अवधि बढ़ाने/बदलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा ।

(बी) उधार की मुद्रा में परिवर्तन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, अनुमोदन अथवा स्वतः अनुमोदित दोनों मार्गों के तहत पहले ही लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में यदि उधारकर्ता कंपनी चाहती है तो उधार की मुद्रा में परिवर्तन अनुमत कर सकते हैं बशर्ते बाह्य वाणिज्यिक उधार की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहती है । तथापि, पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार की प्रस्तावित मुद्रा मुक्त रूप से विनिमेय है ।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक का परिवर्तन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, उधारकर्ता कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में अपने लेनदेन करने के लिए मौजूदा पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक का परिवर्तन मौजूदा पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त पर तथा यथोचित सावधानी बरतने पर अनुमत कर सकते हैं ।

(डी) उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन कंपनियों के रजिस्ट्रार से नाम में परिवर्तन की साक्ष्य देनेवाले समर्थनकारी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की शर्त पर अनुमत कर सकते हैं ।

भाग- II

भारत में आयात के लिए व्यापारिक उधार

"व्यापार ऋण" का आशय तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयात के लिए सीधे ही दिए गए ऋण से है। वित्त के स्रोत के आधार पर ऐसे व्यापारिक ऋण में आपूर्तिकर्ता का ऋण अथवा क्रेता का ऋण शामिल है। आपूर्तिकर्ता ऋण का संबंध विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयातों के लिए दिया जाने वाला ऋण है, जबकि क्रेता ऋण भारत में आयात के लिए किए जाने वाले भुगतान हेतु आयातक द्वारा भारत से बाहर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से तीन वर्ष से कम की परिपक्वता वाले ऋण की व्यवस्था करना है। यह ध्यान रहे कि तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि के क्रेता ऋण और आपूर्तिकर्ता ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(ए) राशि और परिपक्वता अवधि

प्राधिकृत व्यापारी बैंक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में आयात के लिए एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले (पोत लदान की तारीख से) अनुमत आयातों के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन के हिसाब से व्यापारिक उधार अनुमोदित कर सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा यथावर्गीकृत पूंजी माल आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के लिए एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम (पोत लदान की तारीख से) परिपक्वतावाले व्यापार ऋण अनुमोदित कर सकते हैं। अनुमत अवधि से अधिक के लिए किसी भी प्रकार के स्वतः समय विस्तार / विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति आयात लेनदेन से अधिक के व्यापारिक ऋण का अनुमोदन नहीं करेंगे।

बी) समग्र लागत सीमा

वर्तमान समग्र लागत सीमा निम्नानुसार हैः

परिपक्वता अवधि	**छ : माह तक के लाइबोर* से ऊपर समग्र लागत सीमा**
एक वर्ष तक	200 आधार अंक
एक वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्षों से कम	

* ऋण की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

समग्र लागत सीमा में व्यवस्थापक शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, प्रबंधन शुल्क, लदाई-उतराई/प्रॉसेसिंग प्रभार, फुटकर और कानूनी खर्च, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

सी) गारंटी

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी गैर-पूंजीगत आयातों (स्वर्ण, पल्लाडियम, प्लैटिनम, रोडियम, चाँदी आदि को छोड़कर) हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए और पूंजीगत माल के आयात हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन प्रति लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में साख-पत्र/गारंटियां / वचनपत्र / चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने की अनुमति है। ऐसे साख-पत्र/गारंटियों/ वचनपत्रों/ चुकौती आश्वासन पत्रों की अवधि ऋण अवधि के अनुकूल हो और उसकी गणना पोत पर माल लदान की तारीख से की जाए।

डी) रिपोर्टिंग व्यवस्था

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अप्रैल 2004 से आगे फार्म टीसी (अनुबंध IV में दिए गए फार्मेट) में माह के दौरान अपनी सभी शाखाओं द्वारा दिए गए व्यापारिक ऋण के अनुमोदनों, आहरणों, उपयोगों और चुकौती का समेकित विवरण निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को (और एमएस-एक्ज़ेल फाइल में ई-मेल द्वारा) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक पहुंच जाए। प्रत्येक व्यापारिक ऋण को प्राधिकृत व्यापारी एक अनन्य पहचान संख्या दें।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा जारी साख-पत्रों/गारंटियों/वचनपत्रों/ चुकौती आश्वासन पत्रों संबंधी आंकड़ों का एक समेकित विवरण तिमाही अंतराल पर (संलग्नक V के फार्मेट में) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंजिल, मुंबई 400001 को (और ई-मेल के माध्यम से MS-Excel फाइल में) इस प्रकार भेजें कि वह अगले माह के 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाए।

अनुबंध I

फार्म - ईसीबी

अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही के लिए आवेदन

अनुदेश

आवेदक, पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन, नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400 001 को प्रेषित करें।

प्रलेखन

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज (जो संबंधित हो), आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएं ;

(i) विदेशी उधारकर्ता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के सभी शर्तों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्ताव पत्र की एक प्रति।

(ii) आयात संविदा की एक प्रति, प्रोफार्मा / वाणिज्यिक बीजक / लदान बिल।

भाग-ए- उधारकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी

1. आवेदक का नाम
   (साफ अक्षरों में)
   पता

2. आवेदक की हैसियत
   i) निजी क्षेत्र
   ii) सरकारी क्षेत्र

भाग-बी-प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार के बारे में जानकारी

	मुद्रा	राशि	अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे

(ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रयोजन

(बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार का स्वरूप [कृपया उचित बॉक्स में (x) लिखें]

(i)	आपूर्तिकर्ता ऋण	
(ii)	क्रेता ऋण	
(iii)	सामूहिक ऋण	
(iv)	निर्यात ऋण	
(v)	विदेशी सहयोगी / ईक्विटी धारक से ऋण (राशि, उधारकर्ता कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में ईक्विटी धारिता प्रतिशत के ब्योरे सहित)	
(vi)	अस्थायी दर वाले नोट	
(vii)	नियत दर वाले बांड	
(viii)	ऋण सहायता	
(ix)	वाणिज्यिक बैंक ऋण	
(x)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	

सी)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की शर्तें	:
(i)	ब्याज दर	:
(ii)	वैध शुल्क (अप-फ्रंट फी)	:
(iii)	प्रबंधन शुल्क	:
(iv)	अन्य प्रभार,अगर कोई हे तो (कृपया उल्लेख करें)	:
(v)	समग्र लागत	:
(vi)	वायदा शुल्क	:
(vii)	दंडस्वरूप ब्याज की दर	:
(viii)	बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवधि	:
(ix)	क्रय/विक्रय विकल्प के ब्योरे, अगर कोई हो तो	:
(x)	रियायत/अधिस्थगन अवधि	:

(xi) चुकौती की शर्तें (अर्धवार्षिक/वार्षिक/बुलेट) :

(xii) औसत परिपक्वता

---

2. उधारदाता के ब्योरे

उधारदाता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

---

3. दी जाने वाली सेक्यूरिटी, यदि कोई हो, का स्वरूप

भाग सी - आहरण द्वारा कमी और चुकौती संबंधी जानकारी

प्रस्तावित सूची								
आहरण द्वारा कमी			**मूलधन की चुकौती**			**ब्याज का भुगतान**		
माह	**वर्ष**	**राशि**	**माह**	**वर्ष**	**राशि**	**माह**	**वर्ष**	**राशि**

भाग डी - अतिरिक्त जानकारी

1. परियोजना संबंधी जानकारी

i) परियोजना का नाम और स्थान :

ii) परियोजना की कुल लागत : रु. अमरीकी डॉलर

iii) परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार :

iv) परियोजना का स्वरूप :

v) क्या वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा मूल्यांकन किया गया है :

vi) संरचनात्मक क्षेत्र : :

- ए) बिजली
- बी) दूरसंचार
- सी) रेलवे
- डी) पुल समेत रोड
- ई) पोर्ट

एफ) औद्योगिक पार्क

जी) शहरी संरचना - पानी की आपूर्ति, सैनिटेशन और सीवरेज

vii) क्या किसी सांविधिक प्राधिकरण से मंजूरी की जरूरत है ? :

अगर हां, तो प्राधिकरण का नाम बताएं, मंजूरी सं. और दिनांक का उल्लेख करें ।

2. चालू और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लिया गया बाह्य वाणिज्यिक उधार (पहली बार के उधारकर्ताओं के लिए लागू नहीं)					
वर्ष	पंजीकरण सं.	करेंसी	ऋण राशि	संवितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तारीख को चुकौतियों का निवल, अगर कोई हो तो ।

भाग ई- प्रमाणीकरण

1. आवेदक द्वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं और (ii) उगाही जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग अनुमत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

_____

(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____

नाम : _____

दिनांक _____

मुहर

पदनाम : _____

फोन सं. : _____

फैक्स सं. : _____

ई-मेल : _____

2. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा -

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि (i)आवेदक हमारा ग्राहक है (ii) हमने उधारदाता / आपूर्तिकर्ता से प्राप्त आवेदन और प्रस्ताव के मूल पत्र और प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है और उसे सही पाया है।

_____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____

नाम : _____

दिनांक _____

मुहर

बैंक /शाखा का नाम : _____

प्राधिकृत व्यापारी कूट

अनुबंध II

फार्म 83

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन ऋण करार ब्योरों की सूचना

(ईसीबी के सभी श्रेणियों और किसी भी राशि के लिए)

अनुदेश :

1. उधारकर्ता, कंपनी सचिव (सीएस) अथवा सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा प्रमाणित फार्म 83, पूर्णतः भरकर, दो प्रतियों में, नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करें। नामित प्राधिकृत व्यापारी इसकी एक प्रति ऋण पंजीकरण संख्या के आबंटन के लिए उधारकर्ता और उधारदाता के बीच हुए ऋण करार के हस्ताक्षर की तिथि से 7 दिनों के भीतर, निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 400051 को भेजी जानी है।
2. कोई भी कॉलम रिक्त न छोड़ें। प्रत्येक मद में पूरे ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशेष मद लागू न हो वहां 'लागू नही' लिखें।
3. सभी तिथियां वर्ष/महीना/दिनांक के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे 21 जनवरी 2004 के लिए 2004/01/21
4. रिज़र्व बैंक को फार्म 83 अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि फार्म सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।
5. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो फार्म के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रम संख्या दी जाए।
6. विकास वित्तीय संस्थाओं/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों / गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि के जरिए उप-ऋण प्राप्त करने वाली कंपनियां/ फर्में यह फार्म न भरें किंतु रिपोर्टिंग के लिए सीधे ही संबंधित वित्तीय संस्था से संपर्क करें।

केवल रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) के उपयोग के लिए	लोन की : (Loan Key)										

सीएस-डीआरएमएस समूह	प्राप्ति तारीख	कार्रवाई की तारीख	ऋण वर्गीकरण	

करार ब्योरे (बाह्य वाणिज्यिक उधारों के उधारकर्ताओं द्वारा भरा जाए)

भाग ए : मूल ब्योरे											
ईसीबी टाइटल / परियोजना											
पंजीकरण संख्या											
रिज़र्व बैंक की अनुमोदन सं. और तारीख (यदि लागू हो तो)											
लोन की सं.[Loan Key No.] (रिज़र्व बैंक/ सरकार द्वारा आबंटित)											
करार दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)					/			/			
मुद्रा का नाम						करेंसी कूट (स्विफ्ट)					
राशि (विदेशी मुद्रा में)										रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए	
गारंटी हैसियत			गारंटीकर्ता (नाम, पता, संपर्क सं. आदि)								
(बॉक्स 1 के अनुसार कूट का प्रयोग करें) ↑					विविध करेंसी प्रकार						
उधारकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) संपर्की व्यक्ति का नाम : पदनाम : फोन सं : फैक्स सं. : ई-मेल आइडी :					उधारदाता/ विदेशी आपूर्तिकर्ता/ पट्टाकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) देश : ई-मेल आइडी :						
				(रिज़र्व बैंक, सांसूप्रवि के उपयोग के लिए)						(रिज़र्व बैंक, सांसूप्रवि के उपयोग के लिए)	
उधारकर्ता की श्रेणी (उचित कॉलम में टिक लगाएं)					उधारदाता की श्रेणी						

सरकारी क्षेत्र इकाई		निजी क्षेत्र इकाई			
श्रेणी का ब्योरा (नीचे टिक लगाएं)					बहुपक्षीय वित्तीय संस्था
	बैंक				विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	पंजीकरण सं.			निर्यात ऋण एजेंसी
	वित्तीय संस्था (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से इतर)				विदेश में स्थित भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा
	कंपनी				अन्य वाणिज्य बैंक
	व्यष्टि वित्त गतिविधियों में लगी गैर-सरकारी संगठन				माल के आपूर्तिकर्ता
	अन्य (स्पष्ट करें)				पट्टादायी कंपनी
					विदेशी सहभागी/ विदेशी ईक्विटी धारक (उधारकर्ता कंपनी के प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारित राशि और प्रतिशत के ब्योरे सहित)
					अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार
					अन्य (स्पष्ट करें)

उधारकर्त्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी ईक्विटी धारिता के ब्योरे: (ए)उधारकर्त्ता का प्रदत्त ईक्विटी में शेयर (%)		(बी) प्रदत्त ईक्विटी की राशि	
प्राधिकृत व्यापारी का नाम, बैंक कूट लिखें		उधारदाता का संदर्भ/ आइबीआरडी सं.(यदि व आइबीआरडी ऋण हो तो)	
बैंक कूट भाग I :			
भाग II :			
फैक्स : ई-मेल आइडी :			

भाग बी : अन्य ब्योरे									
ईसीबी अनुमोदन योजना (उचित बॉक्स में टिक लगाएं)			परिपक्वता के ब्योरे						
स्वतः अनुमोदित मार्ग			ऋण की प्रभावी तिथि						
अनुमोदित मार्ग			संवितरण की अंतिम तिथि						
सरकारी द्वारा अनुमोदित			परिपक्वता तिथि (अंतिम भुगतान तिथि)						
			रियायत अवधि (वर्ष / माह)	व	व	म	म		
			आर्थिक क्षेत्र / उद्योग कूट (बॉक्स 3 देखें)						
उधार राशियों का प्रयोजन कूट (बॉक्स 2 देखें)									
यदि आयात है तो आयात के देश का नाम स्पष्ट करें (यदि एक से अधिक देश हैं,तो ब्योरे संलग्न करें)									
ईसीबी के प्रकार									
		खरीदार का ऋण		आपूर्तिकर्ता का ऋण					
		ऋण सहायता		द्विपाक्षिक स्रोतों से निर्यात ऋण					
		वाणिज्यक ऋण/ सामूहिक ऋण (ऋणदाता के बीच प्रतिशत संवितरण के लिए पत्रक संलग्न करें)		प्रतिभूतिकृत लिखत - बांड, सीपी, एफआरएन, आदि					
		वित्तीय पट्टा		अन्य (स्पष्ट करें)					
		पुराने ईसीबी को पुनर्वित्त : पुराने ईसीबी की पंजीकरण सं.							
अनुमोदन सं. तारीख : पुनर्वित्त राशि : कारण :									
जिसके उपयोग करके वायदा रक्षा जोखिम		ब्याज दर स्वॉप		मुद्रा स्वॉप	अन्य (स्पष्ट करें)				

भाग सी : लेनदेन की अनुसूची

ब्याज भुगतान अनुसूची :

पहली भुगतान तिथि					/			/			वर्ष के दौरान भुगतानों की संख्या				
नियत दर					.										
अस्थायी दर आधार					मार्जिन						कैप नियत दर : न्यूनतम नियत दर :				

आहरण द्वारा कमी की अनुसूची

श्रृंखला सं.	दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)	मुद्रा	राशि	यदि एक से ज्यादा एक समान किस्तें हों तो	
	(कृपया नीचे टिप्पणी देखें)			आहरणों की कुल सं.	कैलेंडर वर्ष में आहरणों की संख्या

टिप्पणी	1.	माल और सेवाओं के **आयात** के मामले में आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तिथि प्रस्तुत की जाए।
	2.	**वित्तीय पट्टे** के मामले में मालों के अधिग्रहण (आयात) की तिथि को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में लिखा जाए।
	3.	**प्रतिभूतिकृत लिखत** के मामले में, जारी करने की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तिथि के रूप में दर्शाया जाए।
	4.	आहरण द्वारा कमी के एक से अधिक लेनदेन यदि ऊपर एक पंक्ति में दर्शाए जाते हैं तो प्रथम लेनदेन की तारीख लिखी जाए।

मूल चुकौती अनुसूची

तिथि (वर्ष/माह/दिनांक) (प्रथम चुकौती तिथि)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि	यदि एक से अधिक एकसमान किस्तें हो तो		वार्षिक दर (यदि वार्षिक भुगतान हो)
			किस्तों की संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या	

यदि ऋण करार में वे विकल्प हैं तो उचित बॉक्सों में कृपया टिक करें :	क्रय विकल्प: ऋण का प्रतिशत ☐	विक्रय विकल्प: ऋण का प्रतिशत ☐
दिनांक (दिनांकों) के बाद निष्पादित किया जा सकता है।	/ /	/ /

टिप्पणी : वार्षिकी भुगतान के मामले में कृपया मूल राशि के प्रत्येक समान किस्त और दर के साथ ब्याज की राशि दर्शाएं। यदि मूल चुकौती के लिए प्रतिशत प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं तो प्रतिशत भी दर्शाया जाए।

विलंब भुगतान के लिए दंडिक ब्याज	नियत : प्रति वर्ष अथवा आधार प्रतिशतः मार्जिन :
प्रतिबद्धता प्रभार	राशि प्रति वर्ष का % : अनाहरित राशि का
अन्य प्रभार	

प्रभार का स्वरूप (स्पष्ट करें)	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
				एक वर्ष में भुगतानों की सं.	भुगतानों की कुल सं.

भाग डी: चालू और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ली गई ईसीबी -(पहली बार उधार लेने वाले को लागू नहीं)

वर्ष	पंजीकरण सं.	मुद्रा	ऋण राशि	वितरित राशि	बकाया राशि*

* आवेदन की तिथि पर चुकौती की निवल, यदि कोई हो।

हम इसके साथ यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी मत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी है।

स्थान : _____ मुहर

_____

दिनांक : _____ (कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम:_____पदनाम: _____

_____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

मुहर नाम _____

(प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और इस फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसके अतिरिक्त, बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा निदेशों के अनुरूप है।

स्थान : _____ मुहर

_____

दिनांकः _____ (प्राधिकृत अधिकारी का स्ताक्षर)

नामः

पदनाम :

बैंक/शाखा का नाम :

बैंक कूटः

_____

बॉक्स 1 : गारंटी स्थिति कूट		
क्रम सं.	**कूट**	**विवरण**
1	जीजी	भारत सरकार गारंटी
	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र गारंटी

बॉक्स 2 : उधार कूट का प्रयोजन		
क्रम सं.	**कूट**	**विवरण**
1	आइसी	पूंजी माल का आयात
2	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)

2	पीबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक गारंटी
3	एफआइ	वित्तीय संस्था गारंटी
4	एमबी	बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय संस्था गारंटी
5	पीजी	निजी बैंक गारंटी
6	पीएस	निजी क्षेत्र गारंटी
7	एमएस	परिसंपत्ति / प्रतिभूति का बंधक
8	ओजी	अन्य गारंटी
9	एसएन	गारंटीकृत नहीं

3	एसएल	ऑन लेंडिंग अथवा सब लेंडिंग
4	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती
5	एनपी	नई परियोजना
6	एमई	विद्यमान इकाइयों का नूतनीकरण/ विस्तार
7	पीडब्ल्यू	बिजली
8	टीएल	दूरसंचार
9	आरडब्ल्यू	रेलवे
10	आरडी	रोड
11	पीटी	बंदरगाह
12	आइएस	औद्योगिक पार्क
13	यूआइ	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
14	ओआइ	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
15	डीआइ	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
16	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
17	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस

					कार्यकलाप
			18	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

बॉक्स 3 : प्रयोग में लाए जाने वाले औद्योगिक कूट		
उद्योग समूह का नाम	उद्योग का विवरण	कूट
बागान	चाय	111
	कॉफी	112
	रबड़	113
	अन्य	119
खनन	कोयला	211
	धातु	212
	अन्य	219
पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद		300
विनिर्माण		
कृषि उत्पाद (400)	खाद्यान्न	411
	पेय पदार्थ	412
	चीनी	413
	सिगरेट तथा तंबाकू	414
	ब्रुअरी और डिस्टिलरी	415
	अन्य	419
कपड़ा उत्पाद (420)	सूती वस्त्र	421
	जूट और कॉइर (नारियल जटा)	422
	रेशम और रयॉन	423
	अन्य वस्त्र	429
परिवहन उपकरण (430)	ऑटोमोबाइल	431
	ऑटो उपकरण और पुर्जे	432
	जहाज़ निर्माण उपकरण और गोदाम	433
	रेलवे उपकरण और गोदाम	434
	अन्य	439
मशीन और औजार (440)	कपड़ा मशीनें	441
	कृषि मशीनें	442

	मशीन औजार	443
	अन्य	449
धातु और धातु उत्पाद (450)	फेर्रस (लोहा और इस्पात)	451
	नॉन-फेरस	452
	अन्य	459
	विशेष एलौव्ज	453
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक माल और मशीनें (460)	इलेक्ट्रिकल माल	461
	केबल	462
	कंप्यूटर हार्डवेअर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली	463
	इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, ट्यूब और अन्य	464
	अन्य	469
रसायन और संबंधित उत्पाद (470)	खाद	471
	रंग और रंग सामग्री	472
	दवाइयां और फार्मस्युटिकल्स	473
	पेंट और वार्निशिंग	474
	साबुन, डिटर्जेंट, शॉम्पू, शेविंग उत्पाद	475
	अन्य	479
अन्य उत्पाद (480)	सीमेंट	481
	अन्य निर्माण सामग्री	482
	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	483
	लकड़ी के उत्पाद	484
	रबड़ माल	485
	कागज़ और कागज़ उत्पाद	486
	टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण	487
	छपाई और प्रकाशन	488
	विविध	489
व्यापार		500
निर्माण और टर्न की परियोजनाएं		600
परिवहन		700

उपयोगिता वस्तुएं (800)	बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण	811
	अन्य	812
बैंकिंग क्षेत्र		888
सेवाएं		900
दूरसंचार सेवाएं		911
सॉफ्टवेअर विकास सेवाएं		912
	तकनीकी इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाएं	913
	दौरे और यात्रा सेवाएं	914
	कोल्ड स्टोरेज, कैनिंग और गोदाम सेवाएं	915
	मीडिया विज्ञापन और मनोरंजन सेवाएं	916
वित्तीय सेवाएं		917
परिवन सेवाएं		919
अन्य (जिन्हें और कहीं वर्गीकृत न किया गया हो)		999

अनुबंध- III

ईसीबी-2

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार के वास्तविक लेनदेनों की रिपोर्टिंग

(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)

माह _____ की विवरणी

1. यह विवरणी ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरी जानी चाहिए। इसे माह की समाप्ति से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि), भुगतान संतुलन सांख्यकीय प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में **"कुछ नहीं"** विवरणी भेजी जानी चाहिए।
2. कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू न हो उसके सामने "लागू नहीं" लिखें।
3. सभी तिथियां ववव/मम/दिदि के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21जनवरी 2004 के लिए 2004/01/21
4. विकास वित्तीय संस्थाओं(डीएफआइ)/बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं आदि के जरिए उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
5. रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि विवरणी सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही है।
6. युनीक ऋण पहचान संख्या/रिज़र्व बैंक पंजीकरण सं. (01 फरवरी , 2004 से पहले अनुमोदित ऋण के मामले में) रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित किए गए अनुसार दिया जाना चाहिए। वैसे ही, ऋण पंजीकरण संख्या (01 फरवरी 2004 के बाद) दी जानी चाहिए।
7. यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न हो, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।
8. आहरण द्वारा कमी के उपयोग के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग किया जाए।

बॉक्स 1 : उपयोग के प्रयोजन के लिए कूट					
सं.	**कूट**	**विवरण**	**सं.**	**कूट**	**विवरण**
1	आईसी	पूंजी माल का आयात	12	टीएल	दूरसंचार
2	आई एन	गैर-पूंजी माल का आयात	13	आरडब्ल्यू	रेलवे
3	आरएल	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	14	आरडी	रोड
4	आरसी	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	15	पीटी	पोर्ट
5	एसएल	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	16	आईएस	औद्योगिक पार्क
6	आरपी	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	17	यू आई	शहरी मूलभूत आवश्यक तत्व
7	आई पी	ब्याज भुगतान	18	ओआई	संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश
8	एचए	विदेश में धारित राशि	19	आईटी	एकीकृत टाउनशिप का विकास
9	एनपी	नई परियोजना	20	डीआई	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश
10	एमई	विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार	21	टीएस	कपड़ा उद्योग/स्टील उद्योग पुनर्रचना पैकेज
11	पीडब्ल्यू	बिजली	22	एमएफ	माइक्रो फाइनेंस कार्यकलाप
			23	ओटी	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

9. विप्रेषण के लिए निधियों के स्रोत के लिए निम्नलिखित कूट का उपयोग करें ।

बॉक्स 2 : विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत		
सं.	**कूट**	**विवरण**
1	ए	भारत से विप्रेषण
2	बी	विदेशी में धारित राशि
3	सी	**विदेशी में धारित निर्यात आय**
4	डी	**ईक्विटी पूंजी का परिवर्तन**
5	ई	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

केवल रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) के उपयोग के लिए	लोन की (Loan Key)											
सीएस-डीआरएमएस समूह		प्राप्ति तारीख		कार्रवाई की तारीख		ऋण वर्गीकरण	

भाग ए : ऋण पहचान के ब्योरे

ऋण पंजीकरण सं.										

ऋण की राशि			उधारकर्ता के ब्योरे
	मुद्रा	राशि	उधारकर्ता का नाम और पता
करार के अनुसार			
			संपर्की व्यक्ति का नाम
			पदनाम
संशोधित			फोन सं.
			फैक्स सं.
			ई-मेल आइडी :

भाग बी : वास्तविक लेनदेन के ब्योरे

1. माह के दौरान आहरण द्वारा कमी :

श्रृंखला सं.	दिनांक (ववव्व/मम/दिदि) (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)	मुद्रा	राशि	प्रतिबद्ध लेकिन माह के अंत तक आहिरत न किए गए ऋण की राशि (ऋण की मुद्रा में)	
				मुद्रा	राशि

टिप्पणी : 1. माल अथवा सेवाओं के **आयात** के मामले में, आहरण द्वारा कमी की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए ।

2. **वित्तीय पट्टा** के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।

3. **प्रतिभूतिकृत लिखत** के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण द्वारा कमी की तारीख के रूप में लिखा जाए।

2. भविष्य में आहरित किए जाने वाले ऋण की बकाया राशि की अनुसूची :

श्रृंखला सं.	आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक (ववव/मम/दिदि)	मुद्रा	राशि	एक से ज़्यादा एकसमान किस्तें हो तो	
				आहरणों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं.

3. महीने के दौरान आहरण द्वारा कमी के उपयोग के ब्योरे :

श्रृंखला सं.	दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)	प्रयोजन कूट (बॉक्स 1 देखें)	देश	मुद्रा	राशि	नवीन /संवितरण / विदेश में धारित खाते से

4._____ महीने की शुरुआत में बकायी विदेश में रखी गई राशि :

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि

5. विदेश में रखी गई राशि का उपयोग

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक)	बैंक और शाखा का नाम	खाता सं.	मुद्रा	राशि	प्रयोजन

6. महीने के दौरान ऋण भुगतान

श्रृंखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण की तारीख	मुद्रा	राशि	विप्रेषण का स्रोत (बॉक्स 2 देखें)	मूल राशि की चुकौती (हाँ/ना)*
	मूल राशि					
	ब्याज @ दर					
	अन्य (स्पष्ट करें)					

* समयपूर्व भुगतान के मामले में ब्योरे दें : स्वतःअनुमोदित मार्ग / अनुमोदन सं. दिनांक : राशि :

7. महीने के दौरान व्युत्पन्न लेनदेन (ब्याज दर, मुद्रा स्वॉप) (यदि कोई हो तो)

स्वैप का प्रकार	स्वैप-व्यापारी		काउंटर पार्टी		लागू होने की तारीख
	नाम	देश	नाम	देश	
ब्याज दर स्वैप					
मुद्रा स्वैप					
अन्य (स्पष्ट करें)					

श्रृंखला सं.	नई मुद्रा	नई मुद्रा पर ब्याज दर	ऋण मुद्रा पर नया ब्याज दर	स्वैप सौदे की परिपक्वता तारीख

8. परिशोधित मूल राशि चुकौती अनुसूची (अगर परिशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (वर्ष/माह/दिनांक) (पहली चुकौती की तारीख)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि	एक से अधिक एक समान किस्तें हों		वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान हो तो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं. (1,2,3,4,6,12)	

9. महीने के अंत में बकाया ऋण की राशि :

मुद्रा _____ राशि :

_____

(रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए)

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उक्त ब्योरे सत्य और सही हैं । कोई भी महत्वपूर्ण सूचना रोकी / अथवा गलत नहीं दी गई है।

स्थान : _____ मुहर

_____

दिनांक : _____ प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम: _____

पदनाम : _____

(उधारकर्ता के उपयोग के लिए)

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतःअनुमोदित मार्ग के अंतर्गत लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय का _____ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है। ह-मने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार है और सरकार द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : नाम और पता

दिनांक : पंजीकरण सं.

[मुहर]

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में उक्त दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण ,उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिदेशों के अनुसार है।

_____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

[मुहर]

स्थान : _____

नामः _____

दिनांक : _____

पदनाम :_____

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता

यूनिफार्म कूट सं. :

अनुबंध- IV

फार्म- टीसी

				17 अप्रैल 2004 का ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.87 का संलग्नक						
	भाग I :			**----------माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा दिये गये व्यापारिक उधार का अनुमोदन**						
	प्राधिकृत व्यापारी का नाम					संपर्की व्यक्ति				
	पता :					टेलीफोन नं.				
						फैक्स				
क्रम संख्या	मंजूरी देने की तारीख	ऋण पहचान संख्या	उधार कर्ता की श्रेणी	उधारदाता का नाम	उधारदाता का देश	करेंसी	राशि	अमरीकी डॉलर में समतुल्य राशि	ब्याज दर	अमरीकी डालर में अन्य प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल									

	फार्म - टीसी	**17 अप्रैल 2004 का एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.87 का अनुबंध**
	भाग I :	**माह /वर्ष के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गारंटीकृत व्यापारिक उधार का अनुमोदन**

	ऋण की अवधि		**ऋण का स्वरूप****		**आयात की मद / प्रस्तावित आयात**	
समग्र लागत	दिनों/महीनों/ वर्षों की संख्या	समय अवधि की इकाई	आपूर्तिकर्ता का ऋण/ क्रेता का ऋण	अल्पकालिक व्यापार ऋण/दीर्घकालीन व्यापार ऋण	विवरण	श्रेणी***
12	13	14	15	16	17	18

I. आपूर्तिकर्ता का ऋण (एससी)

II. क्रेता का ऋण (बीसी)

III. अल्पकालिक व्यापार ऋण (एसटीसी)(एक वर्ष की परिपक्वता अवधि)

IV. दीर्घकालीन व्यापार ऋण (एलटीसी) (एक वर्ष से अधिक तथा तीन वर्षों से कम परिपक्वता अवधि)

V. कुल व्यापार ऋण (टीसी) (I+II)

* अथवा आपूर्तिकर्ता

** कृपया संबंधित कोड सं. जैसे (एससी) अथवा (बीसी) अथवा (एसटीसी) अथवा (एलटीसी) टाइप करें

*** पेट्रोलियम ऑइल लुब्रिकेंट्स, कैपिटल गुड्स, अन्य

टिप्पणी 1 ऋण पहचान संख्या का फार्मेट है : टीसी/(बैंक/ शाखा का नाम) / (पहचान संख्या0

टिप्पणी 2 कॉलम सं. 8 से 13 तक की सूचना केवल अंकों में दी जाए। उन कॉलमों में अक्षर न लिखे जाएं।

टिप्पणी 3 कॉलम सं. 2 में तारीख का कॉलम है : वर्ष वर्ष वर्ष /माह माह माह /दिन दिन दिन उदाहणार्थ 31 दिसंबर 2003 इस प्रकार से लिखा जाए: 2003/12/31

फार्म - टीसी		17 अप्रैल 2004 का ए.पी.(डीआई आर सिरीज़) परिपत्र सं.87 का संलग्नक									
भाग II :_____ (माह)/(वर्ष) के दौरान व्यापारिक उधार का संवितरण, उपयोग और ऋण शोधन											

क्रम संख्या	ऋण पचान संख्या	अनुमोदित राशि (अमरीकी डालर में)	संवितरण (अमरीकी डालर में)	उपयोग (अमरीकी डालर में)	चुकौती (अमरीकी डालर में)					इनका दिनांक	
					मूल	ब्याज	अन्य प्रभार	कुल (6+7+8)	बकाया (4-6)	पोतल दान	अंतिम भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.

नोट 1 :स्तंभ सं. 1, 3 से 10 में सूचना सिर्फ अंकों में भरी जाए । इन स्तंभों में कोई अक्षर न लिखे जाएं ।

नोट 2 : स्तंभ सं. 11,12 में दिनांक फार्मेट (वववव/मम/दिदि) । उदारण के लिए 31 दिसंबर 2003 को 2003/12/31 के रूप में लिखा जाए ।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

1. _____ माह के दौरान हमारी शाखा से आयात हेतु अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों को इस विवरण में शामिल किया गया है।

2. ऐसे व्यापारिक उधार के उपयोग से संबंधित सभी आयात दस्तावेजों (बिल ऑफ एंट्री की ईसी प्रति सहित) का सत्यापन कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है ।

3. हमारी शाखा द्वारा अनुमोदित सभी व्यापारिक उधारों के आहरण, उपयोग और पुनर्भुगतान की जांच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि व्यापारिक उधारों के ऐसे आहरण, उपयोग और चुकौती आयात के लिए व्यापारिक उधारों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 87 में समय-समय पर इसके संशोधित संस्करणों में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप है ।

स्थान : _____ _____

दिनांक : _____ मुहर प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

अनुबंध V

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा जारी गारंटी/वचनपत्र /लेटर ऑफ कंफर्ट का विवरण

---------- को समाप्त तिमाही

प्राधिकृत व्यापारी का नाम : संपर्की व्यक्ति :

पता : टेलीफोन :

ई-मेल : फैक्स :

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

निवासियों की ओर से	गारंटी / वचनपत्र / लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया	
	क्रेता ऋण	आपूर्तिकर्ता ऋण
व्यापार ऋण (3 वर्ष से कम) (क) एक वर्ष तक (ख) एक वर्ष से ज्यादा तथा तीन वर्षों से कम** ** (पूंजीगत माल के आयात तक सीमित)		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : . . . . . .

दिनांक : . . . . . मुहर

परिशिष्ट

बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापारिक उधार के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित

अधिसूचनाओं/ए.पी. (डीआइआर सिरीज़)परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1.	फेमा 3/2000-आरबी	3 मई, 2000
2.	फेमा 126/2004-आरबी	13 दिसंबर, 2004
3.	फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी, 2005
4.	फेमा 129/2005-आरबी	20 जनवरी, 2005
5.	फेमा 142/2005-आरबी	6 दिसंबर, 2005
6.	फेमा 157/2007-आरबी	30 अगस्त, 2007
7.	फेमा 194/2009-आरबी	17 जून, 2009
8.	फेमा 197/2009-आरबी	22 सितंबर, 2009

1.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	29 अप्रैल, 2002
2.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	18 अक्तूबर, 2003
3.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	31 जनवरी, 2004
4.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	23 फरवरी, 2004
5.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.82	1 अप्रैल, 2004
6.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.87	17 अप्रैल, 2004
7.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	1 अक्तूबर, 2004
8.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	1 नवंबर, 2004
9.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	25 अप्रैल, 2005
10.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	1 अगस्त, 2005
11.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	4 नवंबर, 2005
12.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	23 जनवरी, 2006
13.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	12 मई, 2006
14.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	4 दिसंबर, 2006
15.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	30 अप्रैल, 2007
16.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	21 मई, 2007
17.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	7 अगस्त, 2007

18.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	26 सितंबर, 2007
19.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	28 मई, 2008
20.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	29 मई, 2008
21.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	02 जून,2008
22.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	11 जुलाई, 2008
23.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	22 सितंबर,2008
24.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	23 सितंबर,2008
25.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	8 अक्तूबर, 2008
26.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	22 अक्तूबर, 2008
27.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	27 अक्तूबर, 2008
28.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	08 दिसंबर, 2008
29.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	2 जनवरी, 2009
30.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	13 मार्च, 2009
31.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	28 अप्रैल, 2009
32.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	28 अप्रैल, 2009
33.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.71	30 जून, 2009
34.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	9 दिसंबर, 2009
35.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	25 जनवरी, 2010
36.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	9 फरवरी, 2010
37.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	2 मार्च, 2010
38.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	2 मार्च, 2010
39.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	2 मार्च , 2010
40	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	29 मार्च, 2010
41.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	12 मई, 2010
42.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	22 जुलाई 2010
43.	एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.08	12 अगस्त 2010